विधानसभा अ.प्र. क्र. 514/26.02.16 प्रश्नांश "ख" का परिशिष्ट।
प्रश्नकर्ता - श्री मुकेश नायक, मा.वि.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2015/442 भोपाल, दिनांक 13/07/2015

प्रति,

1. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**
2. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश**

विषयः—सीमॉक लेवल 3 संस्थाओं को क्रियाशील करने हेतु विशेषज्ञों की सेवाऐं लेने के संबंध में।
संदर्भः—इस कार्यालय का पत्र क्र./एन.एच.एम/एम.एच/2014/35, भोपाल दिनांक 21.01.2015।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा सीमॉक संस्थाओं में सीजेरियन ऑपरेशन करने हेतु निजी विशेषज्ञों की सेवायें प्रति केस के मान से लेने हेतु निर्देशित किया गया था। ऐसी संस्थाओं में जहॉ विशेषज्ञ पदस्थ नही है अथवा अवकाश पर हैं, इनमें निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञों की सेवायें ली जानी थी।

वर्ष 2015—16 की स्वीकृत कार्ययोजना में भारत शासन द्वारा Conditionalities के आधार पर HPD जिलों में 3% से 5% प्रोत्साहन राशि एवं समस्त जिलों में 3% से 5% पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इन Conditionalities में समस्त सीमॉक संस्थाओं को कियाशील करने हेतु उल्लेख किया गया है। इस हेतु उप जिला स्तरीय सीमॉक संस्थायें (सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर न्यूनतम 10 सिजेरियन प्रति माह किये जाने है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उप जिला स्तरीय अक्रियाशील सीमॉक संस्थाओं में सीजेरियन सेवायें प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों की सेवायें निम्नानुसार ली जायें:—

1. ऐसी संस्थाये जहां विशेषज्ञ (निश्चेतना विज्ञान/स्त्रीरोग विशेषज्ञ) पदस्थ नही है अथवा अवकाश पर हैं, इस स्थिति में **निजी क्षेत्र** के निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ की सेवाऐं रू. 2000/— प्रति सीजेरियन केस एवं निजी क्षेत्र के स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाऐं रूपये 3000/— प्रति केस के मान से विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जा सकती है। सिजेरियन उपरांत महिला का फॉलोअप चेकअप संस्था में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाये। जटिलता एवं आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यक होने पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाऐं फॉलोअप चेकअप हेतु रूपये 1000/— प्रति फॉलोअप विजिट के मान से प्राप्त की जा सकती है। सिजेरियन के दौरान नवजात शिशु की देखभाल संस्था पर कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ/एन.एस.एस.के. प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाये। स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवायें प्राथमिकता के आधार पर ली जायें परंतु यदि स्त्रीरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति में सीजेरियन सेक्शन करने में अनुभवी/प्रशिक्षित सर्जन की सेवायें भी उपरोक्तानुसार मानदेय पर ली जा सकती है।

2 शासकीय संस्था में पदस्थ निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ /पी.जी.एम.ओ की सेवाऐं रू. 2000/– प्रति केस एवं अन्य शासकीय संस्था में पदस्थ स्त्रीरोग विशेषज्ञ /पी.जी.एम.ओ/सीजेरियन सेक्शन में प्रशिक्षित अथवा अनुभवी जर्नल सर्जन की सेवाऐं रूपये 3000/– प्रति केस के मान से ली जा सकती है। सीजेरियन उपरांत महिला का फॉलोअप चेकअप संस्था में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाये। जटिलता एवं आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यक होने पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाऐं फॉलोअप चेकअप हेतु रूपये 1000/– प्रति फालोअप विजिट के मान से प्राप्त की जा सकती है। सिजेरियन के दौरान नवजात शिशु की देखभाल संस्था पर कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ/एन.एस.एस.के. प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाये।

3 यदि जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ पदस्थ नही है अथवा अवकाश पर है ऐसी स्थिति में भी उपरोक्तानुसार विशेषज्ञों की सेवायें सीजेरियन हेतु ली जा सकती है।

विशेषज्ञों को अक्रियाशील सीमॉक संस्था पर आने जाने हेतु मोबिलिटी सर्पोट जिला एवं विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक यूनिट द्वारा निम्नानुसार प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराया जाये :–

स.क्र.	कि.मी.	रूपये
1	0 से 50	500
2	50 से 75	750
3	75 से 100	1000
4	100 से अधिक	1200 (अधिकतम)

विशेषज्ञों हेतु राज्य स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।

सीजेरियन हेतु इन्डीकेटेड केसेस का चिन्हांकनः–

अक्रियाशील सीमॉक के संस्था प्रभारी का दायित्व होगा कि जिन महिलाओं को elective सीजेरियन होना है उन्हें सूचीबद्ध सेक्टर ऑफिसर के सहयोग से किया जाये। सेक्टर ऑफीसर उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली महिलाओं का ANC चेकअप कर सीजेरियन हेतु पात्र महिलाओं (CPD, breech presentation, placenta Previa, Transverse lie Previous LSCS etc.) का चयन कर सीजेरियन हेतु संस्था प्रभारी को अवगत करायेगें। संस्था प्रभारी द्वारा महिला की

आवश्यक जांचें तथा OT की व्यवस्था की जायेगी तथा यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डीएचओ–1 के माध्यम से विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सीमॉक संस्थावार कार्ययोजना दिवसवार, चिकित्सकवार तैयार करवा कर अक्रियाशील सीमॉक संस्थाओं पर सीजेरियन करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त गतिविधि जिले की कार्ययोजना में गतिविधि क्र. A.8.1.10 में स्वीकृत है। अतः उक्त गतिविधि को दिये गये दिशानिर्देश अनुसार संपादित कर गतिविधि में होने वाले व्यय की प्रविष्टी एफएमआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ. बी.एन.चौहान)
o/c संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश।
भोपाल, दिनांक 13/07/2015

पृष्ठ क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2015/443
/2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, वित्त एन.एच.एम. प्रध्यप्रदेश।
7. समस्त ओ.आई.सी./एस.पी.एम.यू., एनएचएम, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक, मानव संसाधन, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. समस्त डीएचओ–1, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
13. संस्था प्रभारी..... अक्रियाशील सीमॉक संस्था।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

संचालक, एन.एच.एम.
o/c मध्यप्रदेश।